[2018] 5 एससीआर 200

ए आदेश कौर बनाम आयशर मोटर्स लिमिटेड और ओआरएस।

(2017 की सिविल अपील संख्या 19426-19427) बी जुलाई 03, 2018

[आरएफ नरीमन और इंदु मल्होत्रा, जेजे।]

कंपनी अधिनियम, 2013 - धारा 59 - सदस्यों के रजिस्टर में सुधार - तथ्यों पर, प्रतिवादी नंबर 2 ने प्रतिरूपक के पक्ष में उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए सीसी के बिना डुप्लिकेट शेयर जारी किए, जिसने बदले में उक्त शेयरों को प्रतिवादी नंबर 8 को स्थानांतरित कर दिया - इसके बाद, अपीलकर्ता को धोखाधड़ी के बारे में पता चला और उसने उक्त इक्विटी शेयरों के लिए पुन: मान्य नए शेयर प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की - हालांकि, ऐसा नहीं किया गया था - अपीलकर्ता द्वारा कंपनी याचिका - एनसीएलटी ने कहा कि कंपनी अपने रजिस्टर D_ सह शेयर ट्रांसफर एजेंटों के कृत्यों के लिए उत्तरदायी थी, और इस तरह अपीलकर्ता के लिए अपने शीर्षक को साबित करने के लिए सिविल कोर्ट का सहारा लेने का कोई कारण नहीं था - हालांकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि चूंकि आपराधिक शिकायत और सेबी जांच लंबित थी, ट्रिब्यूनल के लिए यह सही नहीं था कि वह धारा 59 के तहत रजिस्टर को सुधारने की अपनी शक्ति का प्रयोग करे, एनसीएलटी के ई फैसले को रद्द कर दे और अपीलकर्ता को एक मुकदमे में डाल दे - सत्यता की शुद्धता: सही नहीं है - ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता को आगे किसी भी कार्यवाही के लिए नहीं दिया क्योंकि यह धोखाधड़ी का मामला था जिसमें अपीलकर्ता पीड़ित था। और प्रतिवादी नंबर 2 अपराधी था - इसके अलावा, आरटीआई परिपत्र की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था - इस प्रकार, अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और ट्रिब्यूनल के एफ को बरकरार रखा जाता है। अपीलों को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा: ट्रिब्यूनल अपीलकर्ता को आगे की किसी भी कार्यवाही के लिए अधिकृत नहीं करने में बिल्कुल सही था क्योंकि यह धोखाधड़ी का एक खुला और बंद मामला था जिसमें अपीलकर्ता जी पीड़ित रहा है, और प्रतिवादी नंबर 2 अपराधी है। समान रूप से, यह स्पष्ट है कि आरटीआई परिपत्र की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जब डुप्लिकेट शेयर जारी किए गए थे, तो स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित नहीं किया गया था और न ही व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्र में एक विज्ञापन जारी किया गया था क्योंकि शेयरों का मूल्य 10,000 रुपये से अधिक था। अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपीलकर्ता को आगे की कार्यवाही के लिए अधिकृत करना सही नहीं था। इसलिए, अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द किया जाता है और न्यायाधिकरण को बहाल किया जाता है। यदि प्रतिवादी संख्या 8 रजिस्टर में बिल्कुल नहीं है, तो अपीलकर्ता को उसकी मूल स्थिति में वापस लाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यहां तक कि अगर प्रतिवादी नंबर 8 को रजिस्टर में दर्ज किया गया है, तो उसका नाम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हटाना होगा कि उसे स्थानांतरित करने को कानून में शून्य घोषित किया गया है। कंपनी को निर्देश दिया जाता है कि जहां तक भौतिक शेयर प्रमाणपत्रों का संबंध है, अपने रजिस्टर में सुधार करे और संबंधित निक्षेपागार को इस आदेश के अनुसार डीमैट रिकॉर्ड में सुधार करने के लिए निर्देशित किया जाए। [पैरा 8-11] [204-बी-एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 19426-19427/ 2017।

नई दिल्ली में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 29.08.2017 के निर्णय और आदेश से कंपनी अपील (एटी) संख्या 176 और 177 2017 में।

अपीलकर्ता की ओर से श्री के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता, के. वी. बालाकृष्णन, एस. एम. सुंदरम, रवि रघुनाथ, के. वी. मोहन, अधिवक्ता।

श्री तुषार मेहता, एएसजी, श्री श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनूप डावर, राजेश रंजन, सुमित तेतरवाल, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, सुश्री निहारिका, सुश्री कनिका कलैयारासन, मेसर्स केजे जॉन एंड कंपनी, भरत सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, मुकेश कुमार मरोरिया, एडवोकेट, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय **आर. एफ. नरीमन, जे.** 1 द्वारा दिया गया था।

1-वर्तमान मामला तथ्यों की एक बहुत ही घृणित स्थिति का खुलासा करता है।

2. हमारे सामने अपीलकर्ता पंजाब का निवासी है, और उसने प्रतिवादी नंबर 1-कंपनी में सभी 903 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया था। यह अधिग्रहण वर्ष 1994-95 में हुआ था।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि 2012 में किसी समय, एक अन्य सुश्री आदेश कौर, जो मुंबई की निवासी हैं, ने अपीलकर्ता का रूप धारण किया और प्रतिवादी नंबर 2 से पंजाब से मुंबई में पता बदलने का अनुरोध किया। हमारे सामने यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पालन की जाने वाली मानक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, और पते के उपरोक्त परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट दिनांक 09.05.2001 के परिपत्र संख्या 1 की आवश्यकताओं के बावजूद था। [2018] 5 एससीआर।

इसके बाद प्रतिरूपक ने ऊपर उल्लिखित 903 इक्विटी शेयरों के डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अपीलकर्ता के फर्जी हस्ताक्षर करके क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित किया। ऐसा किया जा रहा है, 28.09.2012 को, प्रतिवादी नंबर 2 ने प्रतिरूपक के पक्ष में डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी किए, जिसने 10.12.2012 को अपीलकर्ता के जाली हस्ताक्षर का उपयोग करके उक्त शेयरों को प्रतिवादी नंबर 8, निवासी विकास तारा सिंह, निवासी मलाड, मुंबई को हस्तांतरित कर दिया। इस स्तर पर, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी संख्या 8, हालांकि वर्तमान कार्यवाही में सेवा दी गई है, ट्रिब्यूनल के समक्ष या अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश नहीं हुई है और हमारे सामने पेश नहीं हुई है। अपीलकर्ता को 2014 में प्रतिवादी नंबर 1 के कंपनी सचिव के माध्यम से पता चला कि डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र किसी और को दिए गए थे, जिसने बाद में उन्हें तीसरे पक्ष को स्थानांतरित कर दिया था। जैसे ही उसे अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में पता चला, अपीलकर्ता ने कंपनी से 17.09.2014 को उक्त 903 इक्विटी शेयरों के लिए पुन: मान्य नए शेयर प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया। चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसके लिए बार-बार याद दिलाने के बावजूद, कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष 31.07.2015 को एक कंपनी याचिका दायर की गई थी, जिसे तब राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा संशोधित अधिनियम के तहत लिया गया था। एनसीएलटी द्वारा 09.11.2016 को पारित एक महत्वपूर्ण आदेश में, एनसीएलटी ने दर्ज किया कि कंपनी और सेबी दोनों द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि डुप्लिकेट शेयर जारी करने की प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक पहलुओं और उचित देखभाल का पालन नहीं किया गया था, अन्यथा इस तरह की धोखाधड़ी आसानी से सामने आ जाती। एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश में, एनसीएलटी ने उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया और अपीलकर्ता को निम्नलिखित शर्तों में राहत प्रदान की:

"प्रतिवादी संख्या 10 की आपत्ति। ट्रिब्यूनल द्वारा मामले का निर्णय नहीं किया जा सकता है, यह किसी भी दायित्व से बचने और याचिकाकर्ता को राहत देने का एक तुच्छ प्रयास है। यह पीठ यह समझने में विफल रहती है कि याचिकाकर्ता को अपने शीर्षक को साबित करने के लिए सिविल कोर्ट का सहारा क्यों लेना चाहिए। उसकी मौखिक गवाही और उसके मूल शेयर प्रमाणपत्रों के अलावा, सिविल मुकदमे में भी सबूत में जोड़ने के लिए बहुत कुछ नहीं है। उसके पास उसके मूल प्रमाण पत्र हैं। प्रतिवादी अपने साथ हुए धोखाधड़ी के कृत्यों से अवगत हैं और उन्होंने आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की है। आपराधिक जांच के परिणाम के लिए याचिकाकर्ता को उसकी संपत्ति से वंचित करने या आपराधिक आदेश कौर बनाम आयशर मोटर्स लिमिटेड [आरएफ नरीमन, जे] की प्रतीक्षा करने का कोई कारण नहीं है

कानून के कटघरे में लाया जाए। उसके दस्तावेजों और उसके अधिकार को उत्तरदाताओं द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, किसी भी दायित्व से बचने के लिए अस्पष्ट इनकार और यह सुझाव देना कि याचिकाकर्ता एक सिविल मुकदमा शुरू करता है, को उस शिकायत का निवारण नहीं करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है जो मुख्य रूप से प्रतिवादी कंपनी या उनके एजेंटों के कर्मचारियों द्वारा निभाई गई धोखाधड़ी से उत्पन्न हुई है। प्रतिवादी संख्या 3 के दिशानिर्देशों के अलावा, जो स्पष्ट रूप से प्रतिवादी कंपनी को उनके रजिस्टर सह शेयर ट्रांसफर एजेंटों के कृत्यों के लिए उत्तरदायी बनाते हैं, इस बिंदु पर कानून स्पष्ट है कि प्रिंसिपल अपने एजेंटों के कृत्यों के लिए उत्तरदायी हैं।

4. एनसीएलटी ने तब कहा कि मूल शेयर प्रमाण पत्र, जो अभी भी अपीलकर्ता के पास भौतिक रूप में थे, को रजिस्टर से उचित पुष्टि के बाद डीमेट किया जा सकता है जो उपरोक्त आदेश के अनुसार किया जाएगा। अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि एक आपराधिक शिकायत और सेबी जांच दोनों लंबित हैं, जिसके परिणामस्वरूप ट्रिब्यूनल के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 59 के तहत रजिस्टर को सुधारने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना सही नहीं होगा। इसलिए एनसीएलटी के उपरोक्त फैसले को रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ता को मुकदमे में डाल दिया गया।

5. अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ श्री केवी विश्वनाथन ने एनसीएलटी के आदेश को स्वीकार करने के लिए उसकी सराहना की है। वरिष्ठ वकील ने कहा है कि वर्तमान कार्यवाही में वास्तव में कोई

प्रतिस्पर्धा नहीं है क्योंकि प्रतिवादी नंबर 8, जो एनसीएलटी के आदेश से प्रभावित होगा, ने पूरी कार्यवाही में उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुना है। उन्होंने दिनांक 09.05.2001 के एक आरटीआई परिपत्र संख्या 1 का भी उल्लेख किया है और इस तथ्य पर भरोसा किया है कि सेबी ने 20.05.2016 को पार्टियों की सरणी से खुद को हटाने के अपने आवेदन में कहा है कि प्रतिवादी नंबर 2 ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और उचित सावधानी और परिश्रम किए बिना डुप्लिकेट शेयर जारी किए हैं।

6. सेबी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री प्रताप वेणुगोपाल इस स्थिति को दोहराते हैं और श्री विश्वनाथन से भी सहमत हैं कि एनसीएलटी के आदेश को बहाल किया जाना चाहिए।

7. कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने जब इस तथ्य का सामना किया कि वर्तमान मामले में कोई वास्तविक प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो उन्होंने आगे कहा है कि इस न्यायालय को ट्रिब्यूनल के आदेश को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 5 एससीआर में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 8 ने क्या किया है। वास्तव में, रजिस्टर पर दर्ज किया गया है या नहीं। यह उनकी आगे दलील है कि चूंकि शेयरों को अब डीमेट कर दिया गया है, इसलिए यह उनके क्लाइंट को नहीं है जिसे अपीलकर्ता को शेयर रजिस्टर पर वापस रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए, बल्कि संबंधित डिपॉजिटरी को निर्देश दिया जाना चाहिए।

8. हमारा विचार है कि ट्रिब्यूनल अपीलकर्ता को आगे की किसी भी कार्यवाही के लिए अधिकृत नहीं करने में बिल्कुल सही था क्योंकि यह धोखाधड़ी का एक खुला और बंद मामला है जिसमें अपीलकर्ता पीड़ित रहा है, और प्रतिवादी नंबर 2 अपराधी है।

9. इसी प्रकार, यह स्पष्ट है कि दिनांक 09.05.2001 के आरटीआई परिपत्र के पैरा 23 में उल्लिखित नियत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जब डुप्लिकेट शेयर जारी किए गए थे, तो स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित नहीं किया गया था और न ही व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्र में एक विज्ञापन जारी किया गया था क्योंकि शेयरों का मूल्य 10,000 रुपये से अधिक था।

10. इसलिए, हमारा विचार है कि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपीलकर्ता को आगे की कार्यवाही के लिए अधिकृत करना सही नहीं था। इसलिए, हम अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करते हैं और न्यायाधिकरण के दिनांक 20.03.2017 के आदेश को बहाल करते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि प्रतिवादी नंब 8 रजिस्टर में बिल्कुल नहीं होता है, तो अपीलकर्ता को उसकी मूल स्थिति में वापस लाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यहां तक कि अगर प्रतिवादी नंबर 8 को रजिस्टर में दर्ज किया गया है, तो उसका नाम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हटाना होगा कि उसे स्थानांतरित करने को कानून में शून्य घोषित किया गया है।

11. इसलिए, हम कंपनी को निर्देश देते हैं कि जहां तक भौतिक शेयर प्रमाण पत्रो का संबंध है, वह अपने रजिस्टर में सुधार करे, और संबंधित डिपॉजिटरी इस आदेश के अनुसार डीमैट रिकॉर्ड को ठीक करे।

12. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति दी जाती है।

13. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटान किया जाएगा।

निधि जैन की अपील स्वीकृत।

(अरविन्द कुमार यादव II)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय सं०-13, बरेली।